न्यायालय मेंः- श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

दुलीचन्द गुप्ता उम्र वर्ष पिता स्व0 शारदा प्रसादगुप्ता निवासी वार्ड नं0-4 सोहागपुर तहसील-सोहागपुर जिला-शहडोल (म0प्र0) —— आवेदक

बनाम

1. रामनिवास गुप्ता पिता स्व0 दललराम गुप्ता (फौत) विधिक वारिस

मु0 बच्चीबाई पत्नी रामविशाल गुप्ता

2. लक्ष्मी पुत्री रामविशाल गुप्ता

3. श्रीमती सन्तोष गुप्तापुत्री रामविशाल गुप्ता

4. कविता पुत्री रामविशाल गुप्ता

5. रामनिवास गुप्ता (फौत) विधिक वारिस

मधुरी गुप्ता पत्नी रामनिवास गुप्ता

6. बृजेन्द्र गुप्ता |
7. नागेन्द्र गुप्ता | सभी के पिता रामनिवास गुप्ता
8. अप्पू गुप्ता |
9. लाला गुप्ता |

10. दिनेश गुप्ता पिता राधिका गुप्ता

11. नर्वदा गुप्ता पिता माधव गुप्ता

12. जानन्दन गुप्ता पिता माधव गुप्ता

सभी निवासी सोहागपुर वार्ड नं0-4 तहसील-सोहागपुर थाना-सोहागपुर जिला-शहडोल (म0प्र0) —— अनावेदक गण

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959

- - - - - - - - - - - - - - - - -

//2//

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3328–दो/16 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदिके हस्ताक्षर
3 .11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री इमरान खान उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 5/पुर्नावलोकन 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 के विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त शहडोल द्वारा पुर्नवलोकन में आदेश दिनांक 26.8.2016 में सुनवाई हेतु उत्तरवादी अधिवक्ता को मौखिक सूचना देकर उभयपक्षों को सुना गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय को यह कैसे मालूम हुआ कि उत्तरवादी अधिवक्ता वही अधिवक्ता हैं जिसकी न्यायालय द्वारा मौखिक सूचित करके उभयपक्षों की सुनवाई की गई । उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि बटवारा प्रकरण में जो नोटिस तामील का आधार बनाया गया एवं संतोष गुप्ता को उक्त प्रकरण में अनावेदक की पुत्री मान लिया गया एवं नोटिस ले जाने वाले भृत्य/तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस के पृष्ठ भाग पर पुत्री संतोष गुप्ता को तामीली दर्शाया गया है कि संतोष गुप्ता की पुत्री	

है जबकि वह संतोष गुप्ता की पुत्री न होकर दिनेश गुप्त की पुत्री है। आवेदक अधिवक्ता का आगे तर्क है कि शारदा प्रसाद की मृत्यु होने पर रामनिवास के द्वारा 90 दिवस के भीतर वारिसों को पक्षकार नहीं बनया गया इस कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था। अंत में निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त शहडोल का आदेश दिनांक 26.8.16 निरस्त किया जावे।

4— अनावेदक का मुख्य तर्क यह था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शारदा प्रसाद की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय में उसके वारिसों को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकार समायोजित किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्व कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई इसलिये आवेदक अधिवक्ता को यह तथ्य निगरानी में नहीं उठाये जा सकते। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी मेमों में उपलब्ध दस्तावेज तथा संलग्न प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अभिलेख के देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना की गई है यहां दौहराने की आवश्यकता नहीं हैं । अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी, अतः अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण उनका

आदेश विधि प्रावधानों से उचित है। अनावेदक कमांक–1 तहसीलदार सोहागपुर के बटवारा प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और जब प्रकरण में आदेश पारित किया जाकर अभिलेख दुरस्त कर दिया गया तब उसके द्वारा धारा–5 के आवेदन का सहारा लेकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे समय सीमा में न मानते हुये निरस्त की। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य